न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-16/2021

राज्य

बनाम्

बालेश्वर यादव वगैरह

—: आदेश :—

08/10/2

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1596/अप0शा0 दिनांक 01.09.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—50/2021 दिनांक—13.03.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा—379/411/120(बी) भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा— 21(4)(5), "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13 एवं कोल माईन्स एक्ट की धारा— 30(ii) के तहत कांड में जप्त 1. ट्रक संख्या— JH19B-2577 2. ट्रक संख्या— JH01BA-9784 एवं 3. पे—लोडर रजि0 संख्या— BR02GB-9140 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार—बार नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। 1. ट्रक संख्या— JH19B-2577 वाहन मालिक बालेश्वर यादव पिता— सबुर यादव, सा0—

बुकरू, पो0— सेरेगड़ा, थाना— बालूमाथ, जिला— लातेहार 2. ट्रक संख्या— JH01BA-9784 एवं 3. पे—लोडर रजि0 संख्या— BR02GB-9140 के मालिक केदार साव, पिता— चन्दू साव, सा0— चमातु, थाना— बालूमाथ, जिला— लातेहार द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि सूर्यदेव रविदास पिता— स्व0 विदेशी रविदास, ग्राम+पो0—सोहराई, थाना—नुरसराई, जिला—नालंदा (बिहार) वर्तमान में मगध कोल परियोजना में सहायक सुरक्षा अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर वाहनों को अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त आवेदन के आलोक में थाना— प्रभारी बालूमाथ द्वारा थाना काण्ड संख्या— 50/2021 दिनांक 13.03.2021 को धारा— 379/411/120(बी) भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा— 21(4)(5), "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13 एवं कोल माईन्स एक्ट की धारा— 30(ii) के तहत प्रथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक, कुन्दन कुमार को अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया गया। उक्त काण्ड का अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बालूमाथ द्वारा पर्यवेक्षण टिप्पणी में वादी सूर्यदेव रविदास के बयान को उल्लेख किया गया है, जिसमें अवैध कोयला लोड कर भागने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। जप्त 1. ट्रक संख्या— JH19B-2577 2. ट्रक संख्या— JH01BA-9784 एवं 3. पे—लोडर रजि0 संख्या— BR02GB-9140 को अवैध कोयला के परिवहन में संलिप्त होने की पुष्टि की गयी है तथा अवैध कोयला के परिवहन कार्य में संलिप्त वाहन को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

9/4

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत काण्ड में जप्त 1. ट्रक संख्या– JH19B-2577 2. ट्रक संख्या– JH01BA-9784 एवं 3. पे–लोडर रजि0 संख्या– BR02GB-9140 एवं उसमें लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/10/22

उपायुक्त,
लातेहार।

08/10/22

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.10.22 13:44:32 +05:30
Location: 192.168.174.97